मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड द्वारा ग्राम –कांदागढ़, आडमुड़ा, झिलगीटार, देवलसुर्रा, महलोई, बोड़ाझरिया, छपोरा, रियापाली एंव लारा, तहसील – पुसौर, जिला – रायगढ़, के अन्तर्गत प्रस्तावित लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट 2X800 मेगावाट (प्रथम चरण) के पर्यावरण स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 23.12.2011 का कार्यवाही विवरण :–

मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड द्वारा ग्राम –कांदागढ़, आडमुड़ा, झिलगीटार, देवलसुर्रा, महलोई, बोड़ाझरिया, छपोरा, रियापाली एंव लारा, तहसील – पुसौर, जिला – रायगढ़, के अन्तर्गत प्रस्तावित लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट 2X800 मेगावाट (प्रथम चरण) के पर्यावरण स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 23.12.2011 को स्थान – शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप का मैदान, ग्राम महलोई, तहसील – पुसौर, जिला रायगढ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायगढ़; अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई. आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी।

लोक सुनवाई में लगभग 950 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 72 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी प्रतिनिधि श्री श्रीधर मधुकर चौथाईवाले, अपर महाप्रबंधक द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देते हुये बताया कि उक्त परियोजना 800 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट स्थापित हो रही है। प्रथम चरण में 800 मेगावाट की दो इकाईंया स्थापित की जायेगी। भूमि का अधिग्रहण राज्य शासन के नियमानुसार किया जायेगा। पुनर्विस्थापन के लिए कार्य किये जायेंगे। भूमि एवं झाड़ आदि का मुआवजा दिया जायेगा। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिये रोजगार में प्राथमिकता होगी। भूमिहीन प्रभावित व्यक्तियों के लिए भी व्यवस्था की जायेगी। ग्रामों के विकास एवं क्षेत्र के विकास हेतुं कार्य किये जायेंगे। पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा संस्थान के विकास का कार्य शासन के सहयोग से किया जायेगा। शासन के अनुमति से पुनर्वास योजना को अमल में लाया जायेगा। श्री राजेश कुमार बडेरिया, पर्यावरण विभाग मुख्य एनटीपीसी दिल्ली द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में बताया कि कोयले से चलने वाला प्लांट होगा जिससे बिजली पैदा होगी। कोयले से राख बनेगी जो काफी मात्रा में होगा जिससे वायु प्रदूषण होगा। चिमनी से उड़ने वाली राख को नियंत्रित करने के लिए उच्च दक्षता का ई.एस.पी. लगाया जायेगा। जिससे राख का कण नीचे ही रह जायेगा। चिमनी की ऊंचाई 275 मीटर रखी जायेगी, जिससे प्रदूषण स्तर इतना कम हो जायेगा कि किसी भी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। सल्फर डाई आक्साईड के बढ़ने को नियंत्रित करने के लिए एफ.जी.डी. का प्रावधान रखा गया है एवं जल छिड़काव कराया जायेगा, जिससे धूल का कण नियंत्रित होगा। निस्सारित दूषित जल को शुद्ध करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जायेगा। उसके बाद ही छोड़ा जायेगा जिससे किसी भी वाटर बॉडी में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण के लिए साउंड बेरियर बनाया जायेगा। चारों ओर 100 मीटर चौड़ाई की परिधि में ग्रीन बेल्ट लगाया जायेगा। पर्यावरण सुरक्षा हेतु 787 करोड़ रूपये का

प्रावधान रखा गया है। राख का उपयोग भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण में किया जायेगा। जहां राख डंप किया जायेगा उस पर मिट्टी की परत बिछाई जायेगी। चारों तरफ वृक्षारोपण किया जायेगा जिससे राख के कारण विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। 52 क्यूजेक पानी की आवश्यकता होगी। इसकी आपूर्ति महानदी से की जायेगी। परियोजना हेतु कोयला तराईपल्ली से आयेगा। श्री अमित कुमार झा, मेनटेक कंसलटेंट प्रा. लि., ने बताया कि परियोजना हेतु भूमि की आवश्यकता 2375 एकड़ है। कोयले की आवश्यकता 80 लाख टन/वर्ष होगी। इस परियोजना की कुल लागत 9568 करोड़ रूपये है। पर्यावरण अध्ययन के लिए 10 कि.मी. का क्षेत्र लिया गया है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीकी अपनाई जायेगी। अत्याधुनिक तकनीकी के अंतर्गत कम कोयले की खपत से ज्यादा उत्पादन लिया जायेगा। अध्ययन क्षेत्र में वायु, जल एवं ध्वनि की गुणवत्ता की विश्लेषण रिपोर्ट मानक से कम पाई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जन सुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हें कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जिस पर निम्नानुसार 92 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये –

सर्वश्री –

1. जयलाल पटेल, छपोरा, भूतपूर्व जनपद उपाध्यक्ष – एनटीपीसी का हार्दिक स्वागत करता हूॅ। यह हमारे क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। हरिजन आदिवासी के लिए सोने पर सुहागा है। हमारा क्षेत्र किसान मजदूरों का क्षेत्र है जो विकास की दृष्टि से कमजोर है। यह शासकीय प्राजेक्ट होने के नाते एक महान उपलब्धि है। क्षेत्र के विकास के लिए सर्वप्रथम अधिकतर किसान की जमीन संपूर्ण जाने के कारण एक पट्टे पर एक अनिवार्य नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए। बोनस के रूप में 30000 रू. प्रति एकड़ दिये जाने का प्रावधान है उसे 50000 प्रति एकड़ 30 वर्ष तक के लिए दिया जाना चाहिए। एनटीपीसी प्रभावित सभी ग्रामों में बड़ा टंकी लगाया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक घर मे ंपानी की सप्लाई हो सके। मुख्य सड़क को नेशनल सड़क से जोड़ा जाना चाहिए।
2. श्रीमती फूलबाई भुईंया, आड़मुड़ा – मैं रेशम परियोजना से 10 से 11 वर्ष से जुड़ी हुई हूॅ। हमारा प्लांट रेशम परियोजना एनटीपीसी में चला जायेगा। मैं काम चाहती हूॅ।
3. सुकांती चौहान, ग्राम–आड़मुड़ा – मैं रेशम परियोजना में काम करती हूं। रेशम परियोजना एनटीपीसी में जा रही है। उसके लिए मैं काम चाहती हूॅ।
4. कांती बाई, आड़मुड़ा – मैं रेशम परियोजना में काम करती हूं। काम चाहिए।
5. भगवती बाई, छपोरा – मैं रेशम परियोजना में काम करती हूं। काम चाहिए।
6. चंदा बाई, छपोरा – मैं रेशम परियोजना में काम करती हूं। काम चाहिए।
7. दुलारी बाई, आड़मुड़ा– मैं रेशम परियोजना में काम करती हूं। काम चाहिए।
8. आसमती, आड़मुड़ा – मैं रेशम परियोजना में काम करती हूं। काम चाहिए।
9. रूपा बाई, आड़मुड़ा – मैं रेशम परियोजना में काम करती हूं। काम चाहिए।
10. शुरूवाली, आड़मुड़ा – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
11. अहिल्या बाई, छपोरा – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
12. वैदेही, आड़मुड़ा – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
13. सहोदरा, छपोरा – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
14. सुरू, छपोरा – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।

15. धुरपती बाई, छपोरा– मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
16. हीरा, छपोरा – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
17. हीराबाई, छपोरा – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
18. सेवती मिर्धा, छपोरा – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
19. सीता, छपोरा – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
20. मुनुदाई, छपोरा – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
21. रामवती, महलोई – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
22. मिथिला बाई, महलोई – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
23. इंद्रावती, महलोई – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
24. माया बाई, महलोई – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
25. सविता, महलोई–मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
26. शकुंतला बाई, महलोई – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
27. कमला बाई, छपोरा – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
28. टिकेनोनी, झिलगीटार – एनटीपीसी का स्वागत है। जल्दी आये।
29. पार्वती, झिलगीटार – एनटीपीसी का स्वागत है। जल्दी आये।
30. ओयला, झिलगीटार – एनटीपीसी का स्वागत है। जल्दी आये।
31. अहिल्या, आड़मुड़ा – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
32. सुषमा, आड़मुड़ा – मैं कोसाबाड़ी में काम करती हूं। काम चाहिए।
33. शांतिबाई, झिलगीटार – एनटीपीसी का स्वागत है।
34. अहिल्या, झिलगीटार – एनटीपीसी का स्वागत है। जल्दी आये।
35. रूती, झिलगीटार – (उड़िया भाषा में बोली) घर वाला भाग गया है कोई भी काम दो।
36. चंद्रमा, बोड़ाझरिया – 30 साल हो गया है। स्टाम्प में मेरा नाम नहीं जुड़ा है। जोड़ा जाये।
37. भुनेश्वर चौधरी, छपोरा – मैं एक किसान हूँ। मेरा 10 एकड़ जमीन जा रहा है। उसमे से आधा–पौन एकड़ जमीन बच रहा है। वहां तक जाने का रास्ता नहीं हैं। ये समस्या ऐसे कई किसानों की समस्या है। उस जमीन को एनटीपीसी वाले ले लें। एनटीपीसी बोलते हैं कि जब प्रोजक्ट बढ़ेगा तब लेंगे ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जमीन की कीमत 25 लाख एकड़ होनी चाहिए। नाली निर्माण, बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए। अच्छी से अच्छी सड़क मिलनी चाहिए। यहां के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। 4 साल पहले से प्लांट लगा रहा है फिर यहां अभी तक शिक्षा की सुविधा क्यों नहीं दी गई ? लापरवाही होगी तो ठीक नहीं है। लापरवाही नहीं होगी तो हम एनटीपीसी का स्वागत करते हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं स्ट्रीक्टली बोले। 5 कि.मी. तक सड़क, पानी की व्यवस्था करें। गौ पालन, मुर्गीपालन एनटीपीसी द्वारा सहयोग करें। एनटीपीसी में जमीन चला जायेगा तो लोगों को रोजगार की व्यवस्था करें। आज कुछ बोले कल कुछ बोले एनटीपीसी ऐसा नहीं करें। सलाहकार समिति गठन करने को एनटीपीसी बोलता है। इसका गठन भगवान जाने कौन करेगा?
38. गुरूचरण प्रधान, महलोई – लारा प्राजेक्ट का स्वागत करते हैं। हर परिवार से एक नौकरी दिया जाये। 30000 बोनस को 50000 किया जाये। कुछ किसान बाहरी लोगों को जमीन बेच दिया है उसका लाभ उसी किसानों को दिया जाये जो पूर्व में जमीन बेच दिया है। सड़क नाली निर्माण, बिजली मुफ्त में मिलना चाहिए। हर घर में लेट्रिंग बाथरूप की व्यवस्था एनटीपीसी की तरफ से होनी चाहिए।

39. चेहरा लाल चौहान, पंच, वार्ड नं.–11, छपोरा – सबसे पहले नौकरी चाहिए। हर परिवार मे एक नौकरी चाहिए। कन्या विदाई पर 1–1 लाख रूपया मिलना चाहिए। कन्या विवाह पर 1–1 लाख रूपया मिलना चाहिए। नौ गांवों के आश्रित में स्कूल बनना चाहिए। बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। इसलिए नौ गांवों के अंदर में स्कूल बनना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। कम से कम 25 लाख रूपये एकड़ जमीन का रेट मिलना चाहिए।

40. ठंडा राम बंजारा, आड़मुड़ा – जमीन का मुआवजा शासन के रेट के आधार पर देंगे एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा कहा जाता है। जमीन किसान का है किसान से क्यों नहीं पूछा गया है। 30000 हजार रूपये बोनस किस आधार पर बनाया गया है। 50000 रूपये 50 साल तक दिया जाये। एक खाते में 1 को नौकरी दिया जाये। खेतों में झाड़, पेड़–पौधे हैं किसानों को उस झाड़, पेड़ पौधे के रेट की जानकारी किसानों को नहीं बताई गई है। भूमि अर्जन के पहले पेड़ की कीमत हमे मालूम होनी चाहिए। किसान की जमीन जा रही है उसे स्वतंत्र अधिकार मिलना चाहिए जब चाहे तब कंपनी में नौकरी ले सके। पट्टे के विभाजन के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

41. पीलादाई, कांदागढ़ – कोई घर द्वार नहीं है। लड़के बच्चे नहीं है। सहायता चाहिए।

42. कांतीराम गुप्ता, आड़मुड़ा– हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी का स्वागत है। हर खातेदार को नौकरी मिलना चाहिए। 30000 बोनस को 50000 किया जाये। एक एकड़ से कम भूमि को 30000 देने की बात कही गई है। बोनस का रेट लिखित मे होना चाहिए। ग्राम के विकास के लिए अंग्रेजी स्कूल प्रभावित क्षेत्र में खोला जाये। स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो बोले हैं उससे मैं सहमत हूँ।

43. बलराम गुप्ता, छोटेहल्दी – हमारा लड़का बी.ए. फाईनल किया है उसे योग्यतानुसार नौकरी दिया जाये। क्या उसे नौकरी मिल पायेगी? मैं एनटीपीसी का स्वागत करता हूं। मैं आठवी पड़ा हूँ मुझे भी कुछ नौकरी दे दिया जाये।

44. जगन्नाथ प्रसाद डनसेना, देवलसुर्रा – मेरी जमीन एनटीपीसी में जा रही है। हर राशन कार्ड, हर खाते में नौकरी मिलनी चाहिए। पेंशन मिलना चाहिए। काम के लायक यदि कोई नहीं है तो उसे पेंशन दिया जाये। जमीन का मुआवजा 6, 8, 10 लाख कहा जाता है यह फाइनल नहीं है इसे फाइनल किया जाये। मैं क्रशर में काम करता हूं जो छोटे हल्दी एवं झिलगीटार में है। क्रशर भी प्रभावित पावर प्लांट में जा रहा है सबको नौकरी दिया जाये। जौ नौकरी लायक नहीं है उसे पेंशन या मुआवजा कुछ भी दिया जाये।

45. फनकार राम पंडा, लोहाखान – मोहलाई के पटवारी के पास 5, 6 बार गये हैं। पटवारी 5000, 6000 रूपया मांगते हैं।

46. महेन्द्र प्रधान, मोहलई –बासनपाली – जो भी प्रभावित गांव हैं उसके बगैर आश्रित गांवों को को भी लाभ मिलना चाहिए।

47. मोतीराम पंडा, कांदागढ़ – उत्तर, दक्षिण और पूर्व में हीराकुंड डेम का पानी भरा रहता है। पश्चिम दिशा भी एनटीपीसी में जा रहा है। गांव को रोड, पानी, बिजली की तकलीफ है। जो जमीन बच रहा है उस जमीन को भी एनटीपीसी ले ले।

48. डिलेश्वर प्रसाद जायसवाल, छपोरा– मैं छोटा सा किसान हूं। एनटीपीसी लारा परियोजना का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यह भारत सरकार का उद्यम है। जो पहली बार इस क्षेत्र में आ रहा है। प्रत्येक पट्टाधारी को अनिवार्य नौकरी दिया जाये। बोनस राशि 30000 से 50000 किया जाये। जब तक प्लांट चले तब तक राशि मिले। प्रत्येक परिवार के लोगों को चिकित्सा सुविधा एनटीपीसी के कर्मचारियों के बराबर दिया जाये। प्रत्येक पट्टाधारियों के परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा एवं तकनीकी सुविधा निःशुल्क दिया जाये। प्रभावित 9 ग्रामों के अंदर

शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का केंद्र खोला जाये। मजदूरों को बोनस के रूप में कुछ दिया जाये। कन्यादान के रूप में 1 लाख रूपये दिया जाये। वृद्वा पेंशन, परित्यक्ता पेंशन 2000 रूपये प्रतिमाह दिया जाये। प्रभावित ग्रामों में निस्तारी सुविधा, पानी सुविधा, बिजली सुविधा, शमशान सुविधा, पशुग्रह, लाईट की सुविधा एनटीपीसी द्वारा दिया जाये। अन्यत्र जगह जमीन खरीदने के लिए 5 एकड़ जमीन के लिए निशुल्क स्टाम्प सुविधा दिया जाये। एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाये। चिकित्सा व्यवस्था किया जाये। मकान ऐसे बने कि एम्बुलेंस दरवाजे तक पहुंच सके ताकि सबको लाभ मिल सके।

49. मोहनलाल साव, आड़मुड़ा – एनटीपीसी का अभिनंदन करता हूँ। आड़मुड़ा का 350–400 एकड़ जमीन जा रहा है। हर खाते में एक नौकरी चाहिए। मुआवजा 8–10 की जगह 12–14 देने की मांग करता हूँ। बोनस 30 की जगह 50 वर्ष तक चाहता हूं। 30000 बोनस को 50000 देने की मांग करता हूं।

50. रघुवीर प्रधान, एकता परिषद,रायगढ़ – स्थानीय लोगों के स्थानीय संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करता हूं। किसान लोग जो अपना जमीन खोकर नौकरी चाहते हैं क्या आप मालिक से नौकर बनना चाहते हैं? लाभ में हिस्सेदारी क्यों नहीं लेते? क्या आर.आर.पॉलिसी पुनर्वास योजना के अंतर्गत कितने लोगों का भला किया है क्या इसका कोई आंकड़ा आपके पास है? एनटीपीसी से प्रभावित होगा क्या उन लोगों के आजीविका का गारंटी लेते हैं? रायगढ़ जिला पावर हब से जाना जाता है। 51 बड़ी फैक्ट्री संचालित है और कई प्लांट आ रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण मापक यंत्र स्थापित नहीं है। महानदी में जितना पानी फ्लो नहीं है उससे कहीं अधिक इस प्लांट एवं अन्य उद्योगों को दिया जाना है। इस परियोजना में 11742 रूपये निवेश किया जायेगा जिसमें 787 करोड़ पर्यावरण पर खर्चा किया जायेगा। यह खर्च किस परिधि में किया जायेगा उसका उल्लेख नहीं है? इस परियोजना को इस शर्त पर पर्यावरणीय स्वीकृति मिलनी चाहिए कि विस्थापितों का पुनर्विस्थापन किया जाना चाहिए। खेती के साथ जुड़े लोग नाई, धोबी, गाय चरवाहों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ शर्तों के साथ लिखित रिकमंडेशन करता हूं।

51. जयराम पंडा, पूर्व सरपंच, कांदागढ़ – क्षेत्र की ओर से लारा प्रभावित 9 ग्रामों से एनटीपीसी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्षेत्र की सुविधा का पालन करना उचित होगा। 9 ग्रामों की आबादी लगभग 15000 है। 95 प्रतिशत कृषि कार्य करके पालन पोषण करते हैं। अभी तक भूमि संबंधी 50 प्रतिशत कार्य नहीं किया गया है। इस क्षेत्र के पट्टाधारियों की मांग है कि इस क्षेत्र के पट्टाधारियों का विभाजन किया जाये उसके बाद ही धारा 4 का प्रकाशन किया जाये। नल जल की सुविधा अनिवार्य रूप से दी जाये। आईटीआई इस क्षेत्र में खोला जाये। प्रत्येक खाता के मुखिया को स्थाई नौकरी दिया जाये। पक्की सड़क से जोड़ा जाये चिकित्सालय खोला जाये। ऐसे कार्य किया जाये एनटीपीसी के आसपास के ग्रामों में प्रदूषण से परेशान न होना पड़े। एनटीपीसी और ग्रामीण और प्रशासन के बीच अच्छा सामंजस्य बना रहे।

52. राम कुमार साव, कांदागढ़ – एनटीपीसी का हर्षोल्लास के साथ स्वागत। पूर्वजों की जमीन जा रही है उसके प्रत्येक खाताधारी को नौकरी दी जाये। बोनस 30000 से 50000 किया जाये। तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाये।

53. बुबेल कुमार पटेल, देवलसुर्रा – एनटीपीसी का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक पट्टाधारी को एक नौकरी अनिवार्य रूप से दिया जाये। बोनस 30000 से 50000 रूपये 50 वर्ष तक दिया जाये। दोनों मांगों को लिखित एग्रीमेंट किया जाये। स्टाम्ट में एफीडेविट किया जाये।

54. परमानंद डनसेना, देवलसुर्रा – मेरी खुद की जमीन जा रही है। मेरा जमीन चला जायेगा तो मेरे बच्चे का भविष्य नहीं रहेगा। मेरी जमीन को छोड़ दिया जाये या नौकरी दिया जाये। कोई नौकरी के लिए पूछते नहीं है। अधिकारी पद पर नौकरी दिया जाये । कर्मचारी पद पर काम नहीं करूंगा। चाहे मेरी योग्यता हो या न हो। साथ में एम्बुलेंस रखने की सुविधा दी जाये।

55. डगर प्रसाद प्रधान, महलोई – सभी ने एनटीपीसी का स्वागत किया है। मैं भी स्वागत करता हूं। हमारे 9 गांव विकास में कमजोर है। गांव में बुनियादी सुविधाओं को तत्काल एनटीपीसी द्वारा शुरू किया जाये। शीतकालीन सत्र में जो नया कानून के अनुसार हमारे किसानों का भूमि अधिग्रहण किया जाये। पर्यावरण पर जो कहा गया है वही कार्य किया जाता है तो हम उसका स्वागत करते हैं।

56. राजेश त्रिपाठी, जनचेतना, रायगढ़ – एनटीपीसी का स्वागत करते हुए कहीं न कहीं शंका जाहिर किया है। देश के अंदर कई परियोजना एनटीपीसी की है। यहां के किसान जो जमीन एनटीपीसी को देने का वादा किया है। यहां के किसानों को 6, 8 एवं 10 लाख एकड़ ही क्यों 25, 30 लाख रू. एकड़ मिलना चाहिए। उत्तरप्रदेश, कोरबा एवं बिलासपुर में ही देखिए ऐसी ही क्षतिपूर्ति दी गई है। पर एकड़ 20 से 25 हजार रूपये प्रतिवर्ष बोनस दिया जाये। नहीं तो परिवार के जीविकोपार्जन की समस्या होगी। इस परियोजना के अंदर किसानों को नौकरी मिलनी चाहिए। रायगढ़ जिले के अंदर प्रभावित किसानों को किसी भी परियोजना में स्थायी नौकरी नहीं मिली, ठेकेदारों के अंदर काम करते हैं। कंपनी स्पष्ट करें कि इस क्षेत्र के युवाओं को कंपनी में स्थायी नौकरी दी जाये ठेकेदारी में नहीं दी जानी चाहिए। गेट को खोलना एवं बंद करने के लिए, अफसरों को चाय पिलाने, बडे गार्डन को पानी देने के लिए अनपढ़ और विकलांग भी काम कर सकते हैं। अनपढ़ एवं विकलांग साथियों को भी नौकरी की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिनका कोई नहीं होता खासकर महिलाओं को भी नौकरी की व्यवस्था की जानी चाहिए। विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। विस्थापित होने वाले परिवार का अध्ययन करा कर संपूर्ण पुनर्वास की व्यवस्था कराए जाने के बाद एनटीपीसी स्थापना करे। रायगढ़ जिले के अंदर विस्थापित होने वाले किसी भी परिवार का पुनर्वास आज तक नहीं हुआ है। पुनर्वास के साथ बुनियादी सुख सुविधाएं घर, स्कूल, अस्पताल, खेल मैंदान, सड़क, विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए उसके बाद एनटीपीसी का प्लांट स्थापित की जाये। रायगढ़ में जिस तरह से प्रदूषण के कारण बिमारी फैल रही है। एनटीपीसी पर्यावरण के क्षेत्र में रायगढ़ जिले का अध्ययन करें हम मदद करने को तैयार हैं। रायगढ़ जिले में पानी, वायु एवं ग्राउंट वाटर की समस्या है। रायगढ़ में फ्लाई एश की सबसे बड़ी समस्या है। फ्लाई एश की डंपिग कैसे करेगा ? उसकी क्या व्यवस्था एनटीपीसी करेगा। एश डाईक से कई परिवार प्रभावित होते हैं। कोरबा में जैसा एश डाईक बना है वैसा रायगढ़ में नहीं बनेगा ऐसी गारंटी एनटीपीसी देगा। फ्लाई एश को सीमेंट फैक्ट्री को भेजा जायेगा । उत्पादित फ्लाई एश को कहां खपत किया जायेगा ? गुढेली के खदानों में फ्लाई एश को डम्प किया जाये। कलेक्टर साहब ने समिति बनाई है कि कौन कौन से उद्योग ग्राउंट वाटर का उपयोग करते हैं। 22 उद्योग ग्राउंड वाटर का उपयोग कर उद्योग चलाते हैं। जांच के बाद रिपोर्ट आने पर कार्यवाही जीरो होती है। एनटीपीसी परियोजना के निर्माण एवं संचालन में किसी भी प्रकार ग्राउंड वाटर का उपयोग नहीं होना चाहिए। परियोजना चालू होने से पहले पानी की व्यवस्था कर लें। सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हैं तब तो एनटीपीसी का समर्थन है अन्यथा नहीं।

57. श्रीप्रसाद साय, लारा – जमीन का उचित रेट। जमीन का उचित मुआवजा। पर्यावरण मुद्दा। छ.ग. की सरकार ने 3 रेट तय की गई है। 6, 8 एवं 10 लाख रूपये। जमीन का उपयोग

विद्युत निकालने के लिए ले रहे हैं कि किसानी के लिए? किसी भी तरह की जमीन हो सभी का रेट एक हो। क्योंकि विद्युत उत्पादन करेंगे। सरकार विकास चाहती है तो जमीन का एक ही रेट बनाये। और मेरी बात सरकार तक पहुंचाये। 30000 रूपये मुआवजा 30 साल तक देंगे। हम कई पीढ़ी से कमा रहे है और कमाते रहेंगे जब तक भूकंप न आ जाये। हर साल 50000 से 1 लाख रूपया कमा सकते है। जब तक एनटीपीसी रहेगा तब तक हमारे जमीन का मुआवजा 50 हजार प्रतिवर्ष रूपये मिलना चाहिए। मजदूर के रेट पर मुआवजा दिया जाये। प्रभावित 9 ग्रामों रायगढ़ के अंतर्गत आते हैं। रायगढ़ में कई प्राईवेट कंपनी आ गये हैं। जिससे प्रदूषण होगा तो हमारे क्षेत्र में कई बिमारियां आ जायेगी। प्राईवेट कंपनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दी जाये। विद्युत मिलेगा तो कई कंपनियां खुलेगी। प्राईवेट कंपनियों का आगमन न होने दे। पर्यावरण कार्य महान एक वृक्ष 10 पुत्र समान। इसलिए मेरा निवेदन है कि 1 वृक्ष यदि 10 पुत्र है तो एक वृक्ष के बदले 100 वृक्ष एनटीपीसी लगायें।

58. जानकी, चांटीपाली – भाई काम नहीं करता है। कागज लाई हूं।

59. इतवार सिंह साव, छपोरा – बेराजगार युवा हूं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे पिछड़े गांव में एनटीपीसी का आगमन हो रहा है। हमे लाखों प्रकार की रोजगार का अवसर मिलेगा। 9 गांव के अंदर ही आईटीआई कॉलेज, अस्पताल का निर्माण किया जाये जिससे हमे अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो। किसानों का काम पटवारियों द्वारा चला रहा था उनका पट्टा नहीं बन पाया है जिससे उसे कुछ समय दिया जाये जिससे पट्टा बन सके। पट्टाधारी किसानों को मुआवजा मिल जायेगा। भूमिहीन बेसहारा हो जायेंगे। उनको भी मुआवजा दिया जाये जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। 9 गांव के युवा साथियों को रोजगार में सुविधा दी जाये। रेशम परियोजना में मैं चौकीदारी का काम करता हूं। इसका 77 एकड़ जमीन एनटीपीसी में जाने वाला है। विगत 10 वर्षों से रेशम परियोजना में हमारा रोजी रोटी चलता है जो एनटीपीसी लारा में चला जायेगा। यह जमीन जाने से हमे मुआवजा मिले। हमारे परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाये।

60. दशरथ गुप्ता, बासनपाली – मुझे बहुत दुख लग रहा है। 5 वीं से बीए तक के लोगों को नौकरी दिया जाये।

61. राजेश जैन, शिव सेना जिला प्रमुख, रायगढ़ – उद्योग आने से क्षेत्र का विकास होता है। यह क्षेत्र जो बरसों से पिछड़ा हुआ है एनटीपीसी के आने से इसका विकास होगा। कृषि भूमि को न लिया जाये। किसानी की पूंजी खेती भूमि होती है। खेती भूमि को प्लांट में ले लिया जायेगा तो किसानों की आय का साधन खत्म हो जायेगा। घरघोड़ा के तिलाईपाली से यहां कोयला लाया जायेगा। वह कोयला 30 से 40 साल तक के लिए है। अवैध उत्खनन होने से 20 से 25 साल तक चलेगा तब पावर प्लांट बंद हो जायेगा। उस समय किसानों के पास खेती की भूमि होगी तो वे कमा खा सकेंगे। लोगों के भविष्य को देखते हुए किसानों की भूमि को एनटीपीसी में न लिया जाये। नदी, नाला, बराज से कंपनी को पानी लेने की सुविधा दे रही है। सरकार यह नहीं देख रही है कि कितना पानी है? सभी पावर प्लांट को इन्हीं नदी, नाला, बराज से पानी दिया जायेगा। पहले किसानों को पानी दिया जाये उसके बाद उद्योगों को पानी दिया जाये। इस पर विचार किया जाये। केलो नदी में भी पानी उतना नहीं है। भविष्य में गांवों में पानी की कमी हो जायेगी। पावर प्लांट लगे इस पर आपत्ति नहीं है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही जाती है बाद में प्लांट लग जाता है और नौकरी नहीं मिलती। बाहरी लोगों को रोजगार न देकर गांव के लोगों को रोजगार दिया जाये । यह

शिवसेना की मांग है। यहां प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाये और पावर प्लांट चालू होने पर प्रशिक्षित लोगों को नौकरी दी जा सके।

62. जयंत बहिदार, रायगढ़ – मैं बता दूं कि मैं पुसौर ब्लॉक के तिलगी गांव के पुराने मालगुजार हूं। हम समाजवादी हैं और राष्ट्रीयकरण के समर्थक होते हैं। यह भारत सरकार की परियोजना है। हम सरकारी परियोजनाओं के समर्थक रहते हैं। एनटीपीसी के इस परियोजना का समर्थन करते हैं। यह परियोजना बहुत अच्छे तरीके से उच्च तकनीकी, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण के साथ यह परियोजना स्थापित हो। यह जिले के विकास में सहभागी होगा। यदि अधिकारी तथ्यों को छुपाते हैं तो उसका खुलासा करेंगे। किसान और भूमिहीन मजदूर इस बात को ध्यान देंगे और प्रशासन के समक्ष इस बात को रखेंगे। उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला यहां से 100 कि.मी. दूर है। वहां एनटीपीसी दर्रीपाली कोयला खदान एवं पावर ग्रिड ऑफ कार्पोरेशन की परियोजना स्थापित हो रही है। वहां के किसानों के लिए जिला प्रशासन द्वारा जो मुआवजा राशि तय की गई है भी 6, 8 एवं 10 लाख है। वहां के लोगों ने जिला प्रशासन एवं अधिकारियों के साथ बात कर हमारी मांगों के अनुसार राशि तय कराई। वहां 19 लाख 80 हजार रूपये प्रति एकड़ तय की गई मकान एवं पेड़ की मुआवजा राशि अलग है। एनटीपीसी 22.60 लाख एकड़ में सहमत हुआ। बगल की जमीन 1 करोड़ की हो जायेगी एनटीपीसी आने पर। हमारे किसानों को 8, 10 लाख रूपये देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। यहां के लोग नासमझ है इसलिए अपनी सहमति पंचायत के माध्यम से जिला प्रशासन को दे दिया। यदि समझ होती तो एनटीपीसी से सौदा कर 30, 35 से 40 लाख कर सकते थे। गांव और पंचायत के अधिकार का उपयोग नहीं किया गया ग्रामीणों और ठगा गए। सरपंचों को प्रशासन द्वारा दबाव में लिया जाता है। एक सरपंच के कारण पूरा गांव का भविष्य खराब हो रहा है। फंड का अधिकार सरपंच को न दिया जाये। मैं सरपंच के हित के लिए बात कह रहा हूं। निजी परियोजनाओं के लिए सरपंचों पर दबाव बनाकर उनसे हस्ताक्षर लिया जा रहा है और उसे ग्राम सभा का नाम दिया जा रहा है यह नहीं होना चाहिए। यह परियोजना यहां स्थापित होने देना चाहते हैं। परियोजना का नक्शा 5 से 7 कि.मी. हो जाता है। ऐसा कोई नक्शा बनाता है। नक्शा को कार्यवाही में शामिल कर लिया जाये। अभी अवसर है यह परियोजना सराउंडिंग मे होनी चाहिए। हमारे नेता लोग हमारे ही सरकार के लोगों ने एनटीपीसी के साथ वार्ता किया तो अपने खास लोगों को बता दिया और जाओ वहां जमीन खरीद लो और हजारों एकड़ जमीन खरीद लिया। जिंदल इंडिया कंपनी ने भी जमीन खरीद लिया। हमारे किसान 30–35 लाख एकड़ मांग रहे है इस पर समझौता होना चाहिए नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। जिंदल इंडिया कंपनी के साथ मिलकर जानबूझकर उनकी जमीन को छोड़ा। भारत सरकार का पुनर्वास नीति और एनटीपीसी का पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा तय किया जाये, अभी भी मौका है। ईआईए रिपोर्ट में खामिया है। शुरू में 2375 एकड़ जमीन लेंगे और एश डाईक के लिए 525 एकड़ जमीन लेंगे। एक तिहाई क्षेत्र में वृक्षारोपण होना चाहिए। कंपनी ने 150 एकड़ में वृक्षारोपण बता रहा है जबकि 1000 एकड़ में होना चाहिए। इस परियोजना से पहाड़ जंगल में क्या प्रभाव पड़ेगा जो कि 10–15 कि.मी. के अंदर है नहीं बताया गया है। यहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी इसलिए परियोजना को जल्दी पास कराईए।

63. लक्ष्मीप्रसाद पटेल, पूर्व विधायक, खरसिया एवं पूर्व सदस्य लोक सेवा आयोग– राजेश त्रिपाठी ने बढ़िया प्रकाश डाला। यहां 95 प्रतिशत किसान अपने जीविका का साधन कृषि पर निर्भर है। किसान ऋृण के बोझ से पैदा होता है और आने वाली पीढ़ी को ऋृण दे जाता है। एनटीपीसी का हम स्वागत करते हैं। जो मुआवजा दिया जा रहा है निश्चित रूप से कम है।

उड़ीसा प्रांत के केलापाली में किसानों को 19.80 लाख मुआवजा दिया है। मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे चाहे वह खार हो टिकरा हो जमीन का क्लासीफिकेशन मत कीजिए। पढ़ कर सुना रहे थे बोले उसका कापी मैं दे रहा हूं। मेरी बात डिप्टी कलेक्टर, एसडीओ, एमएलए से दूरभाष पर चर्चा हुई थी। 22.60 लाख प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात चल रही है। यह बात उड़ीसा के दल्लीपाली के लिये हो रहा है। यहां के शिक्षित/अशिक्षित बेरोजागारों को प्राथमिकता दी जाये। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों को भी नौकरी में प्राथमिकता दी जाये। मकान का भी मुआवजा दिया जाये यदि वह चाहता है तो कम से कम 25 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाये।

64. लल्लू सिंह, नेतनागर – हमारी जमीन को सरकार ले रही है हीरा को ले रही है उसकी कोई कीमत नहीं है। एनटीपीसी हमारी अनमोल चीज को पहचानी है और जमीन ले रही है। आज यहां विद्युत उत्पादन किया जायेगा। उस जमीन की कीमत ये आंक रहे हैं। व्यापारी क्या जानेगें किसानों की पीड़ा को। यहां की जमीन जायेगी तो आसपास की जमीन करोड़ों रूपये में बिकेगी। जैसे जिंदल के बनने से भगवानपुर की जमीन हो गई एक करोड़ रूपये एकड़। यहां एक फसल वालों को 50 हजार रूपये ओर दो फसल वालों को एक लाख रूपये मिलना चाहिए मुआवजा अतिरिक्त।

65. पार्वती, धनवाडेरा एकताल– आड़मुड़ा में जमीन है। एनटीपीसी में जमीन जा रहा है मुझे भी हिस्सा चाहिए।

66. सविता रथ, जनचेतना मंच, रायगढ़ – न ही मेरा समर्थन है और न ही मेरा विरोध है। मेरी बात को नोट करें और जवाब दें। लोगों को जन सुनवाई की जानकारी नहीं है और न ही मुनादी हुआ और न ही पेपर में आया है। कोई भी परियोजना लगेगी सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित होंगी। यहां जितने भी गांव हैं महिलाओं से राय नहीं लिया गया। महिलाएं किसान होती है और इनकी बातें नहीं सुनी गई। इन्हीं की बच्चों को बिमारियां होगी। महिलाओं को कहीं भी रोजगार, और स्वास्थ्य की बात नहीं लिखी गई है। विधवा परित्यक्ता महिलाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बिना भूअर्जन लगाये सीधे किसानों से जमीन ले 50 से 60 लाख रूपये हरियाणा में है। 5 वर्ष बाद परियोजना लगती है तो यहां के महिलाएं एवं बेरोजगार युवक क्या करेंगे ? मुआवजा का आकलन करें तो 2500 रूपये प्रतिमाह पड़ता है उसमें आदमी क्या करेगा ? जिनको एनटीपीसी नौकरी नहीं दे पायेगा उसे सालाना देगा। ईआईए में भ्रामक जानकारी दी गई है। महिलाओं के विषय में, फ्लाई एश डंम्पिग एवं रोजगार के संबंध में एनटीपीसी से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या करेंगे? बताये अन्यथा व्यापक जन आंदोलन के लिए एनटीपीसी तैयार रहे।

67. ललित कुमार गुप्ता, लारा – आज हम अपने जन्मभूमि माता पिता को बेच रहे हैं। जमीन की कीमत 6 , 8, 10 लाख बातें की जाती है। राज्य शासन द्वारा जो रेट तय किया गया है उसे भारत सरकार को अवगत कराया जाये। लारा परियोजना में जो मुआवजा मिले उसे केंद्र शासन तय करे। उ.प्र. हरियाणा उड़ीसा में अलग–अलग रेट है। हमे भी मुआवजा प्रति एकड़ 50 लाख एवं मुआवजा एक लाख रूपये मिले।

68. गोविंद राम चौहान, लारा – हमारे गांव में एनटीपीसी हो और पर्यावरण के लिए प्लांटेशन हो। प्लांटेशन हो गांव मे सदा रहे और बीच में हमे धोखा न दे और बेचे न। प्लांट खुलने से प्रदूषण होता है उसके लिए पेड़ पौधों की जरूरत है। सभी को मुआवजा मिले। जिसका जमीन नहीं है उसको भी मिले।

69. रमेश अग्रवाल, जनचेतना, रायगढ़ – जमीन का मुद्दा बार–बार आ रहा है। आजादी के पहले अंग्रेजों ने जमीन हड़पने की नीति बनाई थी उसी से आज भी हम बंधे हैं। जमीन की कीमत जिससे की उसका जीवन बंधा है उसे उद्योगों के हित के लिए शासन अधिग्रहित करती है। किसानों को अपनी जमीनों का मूल्य खुद तय करने दे शासन मध्यस्थता मत निभाये। कंपनी यह बताये कि कितने लोगों को रोजगार देगी? बाकी लोगों को 3 हजार रूपये देकर उनका मुह बंद करा रही है। ढाई हजार रूपये देकर क्या उस पर एहसान कर रही है। किसानों की जमीन पर जो भूमिहीन नौकर काम कर रहे हैं उनके लिए कंपनी क्या करेगी? प्रभावित हम किसे मान रहे है ? जिनके पास जमीन है या जिनके पास जमीन नहीं है। उनके लिए यदि पेट पालन के लिए व्यवस्था नहीं की जाती है तो वे अपराध का रास्ता अपना लेगा। यह पूरे देश की बात है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो पर्यावरणीस स्वीकृति की समय सीमा निर्धारित होती है। 5 साल के लिए यह वैध होती है। काम नहीं करने पर यह निरस्त हो जाती है। नई परियोजना के लिए आवेदन पहुंचता है तब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा टीओआर जारी किया जाता है। अभी तक टीओआर की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कई लोगों ने टीओआर बेचने का धंधा बना लिया है। 22 मार्च 2010 का सर्कुलर है। जिसमें कहा गया है कि टीओआर की वैधता 3 साल हो। ऐसे प्रस्ताव के लिए जो ईएमपी बनाई जायेगी उसमें डाटा तीन साल से पुराने स्वीकार नहीं होंगे। इन्होंने डाटा स्टडी की है नवंबर 2006 से दिसंबर 2007 तक की डाटा पेश की गई है जो 4 साल पुरानी है। महानदी एवं केलो नदी का क्या हर्श्र हो गया है ? डाटा पुराना है लोक सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसी ईआईए पर क्या कंमेट्स की जायेगी जो पुरानी है। अगस्त 2007 में इनको टीओआर ग्रांट हुआ है उस हिसाब से भी यह इनवैलिड हो चुका है। पर्यावरण समाघात रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा जारी टीओआर में स्ट्रीक्टली कम्प्लाईंस होना चाहिए वह नहीं हुआ। किसी प्लांट की स्थिति जानने के लिए वह कहां स्थित है उसके अंदर के भू उपयोग किया है अंदर की ग्राउंट वाटर की स्थिति जानने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। उस स्थिति में यह जानकारी दी जानी चाहिए थी कि प्लांट कहां लग रहा है जिससे हम समझ पाते। उसे यदि हम मैप पर रखे तो उससे एक बिंदु बनता है बाउंड्री नहीं बनती। लैंड यूज कम करने के लिए प्रपोज की गई थी और ब्रेकअप चाही गई थी। प्रथम चरण में 2375 एकड़ जमीन की इन्हें आवश्कता होगी इसके अलावा 525 एकड़ एश डाईक के लिए फेस 2 के लिए जमीन की आवश्यकता होगी। एश डाईक सेकेंड स्टेज के लिए जरूरत है उसे प्रथम स्टेज में प्रस्ताव में रखा गया है यह समझ के बाहर की बात है। सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथॉरिटी समय सीमा निर्धारित करती है कि इतने जमीन के लिए आपको प्लांट लगाना है। जिस पर सब कुछ शामिल है तो उसके आधार पर 1600 मेगवाट के लिए 1232 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। जमीन का उपयोग कम से कम करने के लिए कहा जाता है। प्लांट का लेआउट देने के लिए टीओआर में कहा गया। ईआईए रिपोर्ट की सीडी पर्यावरण विभाग से मिली उसमे लेआउट नहीं हैं। प्लांट का ले आउट हमे नहीं मालूम। कोयला जो प्रपोज किया गया है उसकी कैलोरी वैल्यू 4200 बताया गया है। अच्छे किस्म के कोयले में यह हिट मिलती है। 1310 से 1892 तक ही कैपेसिटी है। यह होता है 3600 जबकि यह 4200 बता रहे हैं। कोयले के परिवहन के संबंध में बता रहे है कि मेरी–द राउंड से लायेंगे या रेल्वे लाईन से लायेंगे कृपया बतायें। इनकी रेल लाईन में जंगल, नदियां, पेड़–पौधे आयेंगे। कौन कौन प्रभावित होगा उसका उल्लेख ईआईए में नहीं किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्लानिंग कंसलटेंट नहीं कर पाये। आगे पर्यावरण का ध्यान वे कितना रखेंगे इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। केलो नदी का पानी बहुत बढ़िया है पीने के

लायक है उसमें खराबी नहीं है जबकि प्रशासन जानता है कि केलो आज के डेट में बहुत प्रदूषित हो चुकी है। यदि पीने के लायक है तो मेरा अनुरोध है कि एनटीपीसी के अधिकारियों से कि उस पानी को पिये और बताये कि केलो का पानी प्रदूषित नहीं है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सीएसआर के तहत क्या किया जायेगा 4 सालों में प्लान नहीं कर पाये। इन्हें प्लांट के लिए पानी महानदी से एलोकेट किया गया है। वहां बरॉज बनाकर पानी दिया जायेगा। ऑलरेडी 23 पावर प्लांट रायगढ़ में जिसमें से कुछ चालू हैं कुछ निर्माणाधीन है जल्दी प्रोडक्शन चालू हो जायेगा। जांजगीर चांपा में 28 पावर प्लांट हैं। लगभग–लगभग 50 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन 2 जिलों से होने वाला है। कोयला पानी और जमीन महत्वपूर्ण होती है। पावर प्लांटों के लिए पानी महानदी से लिया जाता है तो क्या महानदी का डाटा कलेक्शन फ्लो देखा गया। अभी तक कोई स्वतंत्र स्टडी न ही सरकार और न ही उद्योगपतियों द्वारा कराई गई है। इतने व्यापक स्तर पर जनहित के मामले को ईआईए स्टडी में शामिल नहीं कर रहे है तो यह दुर्भाग्य की बात है। गर्मी के दिनों में पानी बचेगा या नहीं इन बातों को उल्लेख ईआईए रिपोर्ट में नहीं किया गया है। पब्लिक हेयरिंग प्रोसेस का पालन नहीं किया गया है। अनाधिकृत रूप से यह जनसुनवाई कराई जा रही है। 45 दिन से ऊपर हो गई है। टीओआर के अनुरूप ईआईए नहीं बनाई गई है। पावर यहां पैदा होगा इसे यहां से बाहर कैसे ले जायेंगे। ट्रांसमिशन लाईन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पावर ग्रिड इसे दिल्ली लेकर जायेगा एवं उनसे प्रभावित होने वाले इम्पेक्ट भी तो बताओ। जंगल नदी नाले के बारे में बताओ। 2400 एकड़ जमीन की मांग 1600मेगावाट पावर प्लांट के लिए मांग कर रहे हैं। 140 एकड़ में हमारे यहां 2400 मेगावाट की पावर प्लांट क्षमता लगाने वाले यहां बैठे हैं जरा उनसे कंसल्ट कीजिए मेरा सुझाव है चाहते हैं तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ईएसपी से इमीशन निकलेगा उसकी लिमिट 100 एमजी/सामान्य घनमीटर बताया गया है। ईआईए रिपोर्ट में सुधारा नहीं गया है। 100 को 50 करने में ज्यादा समय नहीं लगता। टेबल 4.4 पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। टेबल 4.4 में स्टेज 1 के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन बताया गया है कहां पर कंस्ट्रक्शन है यदि है तो कार्यवाही क्यों नहीं करते।

70. बसंत कुमार डनसेना, देवलसुर्रा – मुआवजे की दर समान रूप से दिया जाये। 10 लाख कम है 25 लाख दिया जाये। 30 हजार बोनस तय की गई है उसे 50 हजार किया जाये। एकमुश्त किसान पैसा लेना चाहते है तो उसे 6 लाख लाख अतिरिक्त दिया जाये। एनटीपीसी के आसपास ही तकनीकी स्कूल खोला जाये ताकि उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। झाड़ की दर अभी तक नहीं की गई है उसे तय किया जाये। एनटीपीसी के आसपास प्रभावित क्षेत्र को विद्युत निःशुल्क दिया जाये। ट्यूब वेल एवं घरेलू उपयोग के लिए विद्युत निःशुल्क दिया जाये। पटवारी यह कहकर टाल देते है कि यह तहसीलदार का मामला है कहकर टाल देते हैं इसका जल्दी निपटारा किया जाये।

71. दिलीप पांडेय, पुसौर – विकास के लिए अनिवार्य शर्त प्रदूषण है। विकास चाहते हैं तो प्रदूषण तो होगा ही। सामाजिक आर्थिक वैचारिक प्रदूषण होता है। जिन 9 गावों में लगने वाले जमीन के बारे में कहा गया मैं उनसे सहमत हूं। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक उनको लाभ मिल सके। 9 गावों के अलावा प्रभावित होने वाले के लिए इस गांव से 5 कि.मी. की परिधि में आने वाले लोगों के बारे में भी हमे सोचना चाहिए। जमीन, आकाश, गांव, जल को प्रभावित करेगी। रेंगालपाली से पुसौर ब्लॉक का पूर्वी हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित होगा उसका भी रिपोर्ट बने। इसे ध्यान रखा जाये। हमारे जिले के विकास के लिए कार्ययोजना बनाया जाये। एनटीपीसी, प्रभावित और प्रशाासन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के लिए ग्रामीण विकास समिति का

गठन किया जाये। ताकि दिक्कतों को निपटाने में सुविधा हो सके। युवाओं के रोजगार के लिए कुशल अकुशल के लिए योजना बने। इस क्षेत्र में जिंदल इंडिया लिमिटेड ने भी उद्योग खोलने के लिए जमीन खरीद ली है। कुछ लोगों से एनटीपीसी को रोकने के लिए कुत्सित चाल चल रखी है। एनटीपीसी को वर्गाकार जमीन जिला प्रशासन सीमांकन करे। पुसौर ब्लॉक का मध्य क्षेत्र में गर्मी में पानी 250 फीट नीचे चला जाता है। यहां भूजल का दोहन होने से भूजल स्तर और नीचे चला जायेगा। महानदी की क्षतिपूर्ति के लिए कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। महानदी बालू से पट गया है। महानदी के पुनर्वास के लिए भी योजना बनाई जानी चाहिए। ग्राम छपोरा के उत्तर दिशा में कुछ जमीन छूट रही है वह कृषि योग्य नहीं रह जायेगी ऐसी आशंका है। एनटीपीसी किसानों से सलाह कर उस जमीन को ले। छपोरा, केराझरिया के किसान क्या उस जमीन पर खेती कर पायेंगे ? इस बात का ध्यान रखे।

72. डॉ. शक्राजीत नायक, विधायक, रायगढ़ – किसी भी उद्योग के आने के पहले जन सुनवाई एक प्रक्रिया है। हम जानते है कि शासन अपने प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करता है। मैं जन प्रतिनिधि हूं। मैं पहले भी बोल सकता था। 9 प्रभावित गांवों के लोगों का विचार सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। जनता जो निर्णय लेती है जन प्रतिनिधि को साथ में रहना पड़ता है। मैने इस प्रांगण में कलेक्टर के समक्ष ग्रामवासियों का विचार सुना एवं चर्चा किया। स्थानीय लोग समझ गये है कि यह हमारे हित में है। लेकिन उनको शंका है जो बोला जा रहा है वह होगा या नहीं। कुछ प्राईवेट प्लांट है उन्होंने वादा खिलाफी किया है। जमीन का मुआवजा का प्रश्न है यद्यपि राज्य शासन ने जमीन का रेट 6, 8 और 10 लाख तय किया है। पावर ग्रिड कार्पोरेशन अगर उड़ीसा के केलापाली में 19.60 लाख देना तय कर लिया है अगर दल्लीपाली सुदंरगढ़ में यह फाईनल हो गया है 22.6 लाख प्रति एकड़ तय हो गया है सभी प्रकार की जमीन। एनटीपीसी के वरिष्ट अधिकारियों से चर्चा हुई है कि अगर उड़ीसा का जो रेट दिया जा रहा है वही रेट यहां भी दिया जाये। इसी स्थान पर कलेक्टर के साथ चर्चा हुई थी उन्होंने तहसीलदार और एसडीएम को आदेश दिया था यदि किसी प्रकार का विवाद है तो समयसीमा में खाता विभाजन होना चाहिए। 8, 10 लोगों ने बताया कि पटवारी की खामियों के कारण खाता विभाजन नहीं हो पाया है। सभी प्रकार के खाता विभाजन हो जाये जो विवाद है उसे भी समय सीमा में करे। अगर कोई एक मुश्त देना चाहता है उसे 3 लाख तय किया गया है हमने 5 लाख मांग किया गया है। 30 हजार तय किया गया है वह 50 तय करना वाजिब है। स्वसहायता समूह महिला रेशम योजना के महिलाओं को वैकल्पिक व्यवस्था रोजगार हेतु किया जाये। बाहर क्रय करने पर 2 हेक्टेयर का स्टाम्प ड्यूटी एनटीपीसी दे। हमारे इस क्षेत्र के लड़कों को पहले नौकरी देना पड़ेगा। योग्यता नहीं रखता है आईटीआई या इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहता है तो अपने खर्च पर जब तक अपने परिसर में आईटीआई नहीं हो जाये तब तक उनको खर्च देकर आईटीआई इंजीनियरिंग कराना पड़ेगा। इंजीनियरिंग कोर्स के लिए गढ़उमरिया के लिए 10 करोड़ रूपये इंजीनियरिंग कोर्स के लिए डेवलप करें। 10 में से 6 करोड़ रूपये कोरबा को दिया जा चुका है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए 10 करोड़ की मांग रखते हैं। इस क्षेत्र के लोगों को निःशुक्ल इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाये। जहां जहां एनटीपीसी के प्रोजेक्ट आये हैं वहां सेंट्रल स्कूल खोला गया है। जिंदल की तर्ज पर यहां प्राइवेट स्कूल की मांग की गई थी। एनटीपीसी के तर्ज पर यहां सेंट्रल स्कूल, अस्पताल खोला जाये। यहां के लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाये। यह सुविधा सबके लिए रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिश है कि के अनुसार 4 मीटर ऊंचाई के फ्लाई एश पर एक मीटर मिट्टी की पर्त बिछाकर वृक्षारोपण की जानी चाहिए। जिससे पर्यावरण को बचाने के लिए

वृक्षारोपण हो जायेगा। 300 मिलियन घनमीटर पानी का उपयोग किया जायेगा। पानी महानदी से लें अगर भूमिगत पानी लेंगे तो आसपास के गांव में हैंडपंप सुख जायेंगे। इसलिए पानी महानदी से लिया जाये। इस गांव के आसपास के भूमिहीन मजदूर भाई जो किसानों की जमीन में मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे उनके लिए अनिवार्य रूप से यह व्यवस्था दें कि जितने भी मजदूर कंपनी में लगेंगे उसे इस गांव तथा आसपास के लोगों को लें। हर पंचायत को 5 लाख रूपया 5 वर्ष के लिए दिया जाना है उसे बढ़कर 10 लाख रूपये 10 वर्ष के लिए कर दिया जाये। इस शर्तों के साथ एनटीपीसी का समर्थन करता हूं। कलेक्टर के समक्ष जो बातें कही गई उन सभी बातों का पालन करें अन्यथा आंदोलन होगा उसकी अगवाई मैं करूंगा।

73. कमलेश गुप्ता, नवापारा – मैं छ.ग. जनजाति औषधीय से जुड़ा हूं। मैने जिंदल में जाकर किसानों के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके लिए एप्लाई किया था। कैंटीन ग्रूप महिलाओं को दे सकते है। दलाल के माध्यम से लाईसेंस बनाया जाता है। उन्हें ट्रेंड किया जाये।

74. शहनवास खान, अध्यक्ष, युवा हेल्थ क्लब, रायगढ़– अभी तक यह तय नहीं कि हम युवा विरोध में है कि समर्थन में है। एनटीपीसी पावर प्लांट लगाने से भारी प्रदूषण आसपास के क्षेत्र में फैल जायेगा। जिससे पर्यावरण बुरी तरह से दूषित हो जायेगा। पुसौर ब्लॉक तहसील रायगढ़ जिला का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है। जो पूरी तरह प्रभावित हो जायेंगे फसल बर्बाद हो जायेंगे। कृषि के साथ स्थानीय लोग प्रभावित हो जायेंगे। फ्लाई एश सबसे बड़ा संकट होगा। लोगों को विभिन्न बिमारियों से गुजारना पड़ेगा। दमा अस्थमा, खुजली, सांस संबंधी बिमारियों से ग्रस्त हो जायेंगे। उक्त बिजली संयंत्र से 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित ऐतिहासिक काबरा पहाड़ जहां विश्व प्रसिद्ध शैल चित्र है जो कंपनी के प्रदूषण से नष्ट हो जायेगा। केलो नदी में प्रदूषण फैलाया जायेगा जिससे जल संकट पैदा हो जायेगा और पेय योग्य पानी नष्ट हो जायेगा। क्या इसका आपके पास कोई निवारण है ? 4000 मेगावाट बिजली से 3000 टन प्रतिदिन फ्लाई एश उत्पन्न होगा। जिससे फ्लाई एश संकट उत्पन्न हो जायेगा। फ्लाई एश घर, आंगन, कपड़ों पर गिरता है। ईएसपी सिस्टम चालू कराया जाये। तिलाईपाली कोल माईंस संयंत्र से लारा तक रेललाईन बिछाई जायेगी जिससे कई किसानों की खेती प्रभावित हो जायेगी। 24 मीटर रेलपाथ बनाने से परेशानी होगी। आसपास के लोग गंभीर बिमारी से ग्रस्त हो जायेगी। प्रशासन के जोर से एनटीपीसी का प्लांट लगना है। यदि प्रशासन बल पूर्वक उक्त संयंत्र को स्थापित करता है तो हमारी मांगों को ध्यान में रखकर हमारी मांगों को पूरा करें। स्थानीय बेरोजगारों को 4000 रू. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाये। स्थानीय युवाओं जो तकनीकी शिक्षा वाले हैं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाये। यहां आई.टी.आई, इंजीनियंरिग कॉलेज है फिर भी यहां के युवाओं को रोजगार के लिए दर–दर भटकना पड़ता है। आईटीआई खोला जाये। सीएसआर द्वारा स्थानीय लोगों को फसल उत्पादन हेतु नई तकनीक हेतु प्रशिक्षण दिया जाये। व्यापक पैमाने पर पेड़ पौधे लगाकर उचित सुरक्षा की जाये। जल शुद्धिकरण यंत्र लगाया जाये जिससे आसपास के प्रभावित क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल मिले। स्थानीय लोगों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाये। यह सब बातें प्लांट लगने से पहले सुविधा मुहैया कराया जाये। स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाये। सड़कों का डामरीकरण हो। नई सड़कों का निर्माण किया जाये। मत्स्य पालन हेतु ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जाये। भूअधिग्रहण के पहले लोगों की जमीन का नामकरण कार्य संपादित कराकर 15 दिन के अंदर इनको मुआवजा भुगतान करें। मॉडल टाउन निर्माण कराकर गांव वालों को दिया जाये। स्थानीय हित के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया

जाये। उड़ीसा में 22.60 लाख रूपया मुआवजा दिया जा रहा है वैसा मुआवजा भी इस गांव में दिया जाये। संयंत्र के आसपास क्षेत्र में शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण कर युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करें। खेलकूद की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए मैदान की व्यवस्था एवं खेलकूद सामग्री उपलब्ध करायें। लोक संस्कृति सामग्रियों का वितरण किया जाये। छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान किया जाये। इन सभी प्वाईंटों पर सोचविचार कर इसका पालन करें। कम्प्यूटर शिक्षा निःशुक्ल प्रदान किया जाये। उच्चतर शिक्षा हेतु विद्यालय का निर्माण किया जाये। प्रदूषण से बचने के लिए वृक्षारोपण किया जाये।

75. बी. प्रधान, महलोई – पूर्व वक्ताओं ने जो विचार दिया उन्हीं विचारों को प्रबधंन गौर करे। ये 9 गावों की समस्या है। यहा बहुत सारे किसान है। जो शहनवाज खान द्वारा जो बात कही गई उसे नोट किया जाये। अस्पताल में मेन रोजगार इन्हीं 9 गांवों के लोगों को दिया जाये। एनटीपीसी स्कूलों में 9 गावों के लोगों को मौका दिया जाये।

76. संतोष बोहिदार, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, पुसौर – वास्तव में यह पर्यावरण जनसुनवाई है। सिर्फ पर्यावरण के विषय में बात होनी चाहिए। रोजगार, जमीन का मूल्य, मुआवजा जैसे अनेक बाते होती है। रायगढ़ में 15 वर्षों से जिस संघर्ष मोर्चा ने प्रत्येक मुद्दे पर विरोध करते आया है इसलिए मैं जानता हूं कि जनसुनवाई में सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दों में बात होनी चाहिए। रायगढ़ जिले से लगे हुए उड़ीसा प्रांत में हमारे जैसे खाना बोली उनका रहन सहन हमारे जैसा है उनकी जमीन हमारे जैसा है। जब बगल में पावर ग्रिड कंपनी ने 18.6 लाख देने की बात लिखित में स्वीकार किया है। त्रिपक्षीय बात में एनटीपीसी से 22 लाख से ज्यादा मुआवजा देने की बात हुई है। हमे भी 22 लाख जमीन का मुआवजा दिया जाये। 30000 रूपये मुआवजा की बात हुई है उसे 50000 दिया जाये। हेल्थ क्लब के साथियों कहा कि बेरोजगारों की अनदेखी की जाती है। यह बात सत्य है। यहां अगर एनटीपीसी लगता है तो शिक्षित और जागरूक जनता को अवसर नहीं मिलने से हमे जागरूक रहने का क्या मतलब है। ऐसे ब्लॉक तहसील में उद्योग लगाता है ऐसे किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं पूरे पुसौर ब्लॉक की तरफ से संतोष बहिदार एनटीपीसी का समर्थन करता है। एनटीपीसी जनता की हित में अगर सोचता है तो समर्थन करता है। मूल्य, मुआवजा और रोजगार इन तीन बातों पर ध्यान दिया जाये। 6, 8 10 लाख एकड़ का विरोध है। त्रिपक्षीय वार्ता रखाकर 20 लाख एकड़ मुआवजा दिलाया जाये।

77. भीमसेन दुबे, प्रदेश महामंत्री, पुरंगा – किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए। किसान किस परिस्थिति में अपना जीवन यापन करता है इसकी चिंता प्रशासन को करनी चाहिए। योग्यतानुसार युवकों का मूल्यांकन की जानी चाहिए। प्रभावित 9 गांवों के अलावा आसपास के गांव प्रभावित न हो इसकी चिंता की जानी चाहिए। जनता का सहयोग किसी भी उद्योग के लिए आवश्यक है तभी वह फलीभूत होगा।

78. ब्रजेश कुमार गुप्ता, पूर्व जिलापंचायत सदस्य, केनसरा – इस क्षेत्र को चयन करने के लिए मैं एनटीपीसी को धन्यवाद देता हूं। इसके लगने से हमारा क्षेत्र विकास करेगा। 5–10 साल में यहां का भूगोल बदल जायेगा। यहां की आर्थिक स्थिति को एनटीपीसी को सुधारना पडेगा। यहां के लोगों को रोजगार का पर्याप्त अवसर मिलेगा। यहा से 4–5 वर्ष पूर्व एनटीपीसी की आने की बात की गई थी भू माफियाओं ने किसानों की जमीन खरीद ली । वे भूमिहीन हो गये हैं एनटीपीसी को उन लोगों की चिंता करनी पड़ेगी। 6, 8 10 लाख की जगह 25–30 लाख रूपये भूमि का मुआवजा मिलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी। सर्व सुविधा युक्त हॉस्पीटल, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की जानी चाहिए। पुसौर ब्लॉक में महाविद्यालय

की आवश्यकता है। एनटीपीसी यह व्यवस्था करें। लारा में एनटीपीसी के बाद कोई उद्योग को हम नहीं झेल पायेंगे।

79. प्रेमानंद अग्रवाल, महापल्ली – 1600 मेगावाट के लिए जो जमीन ली जा रही है उसके अंतर्गत 9 गांव आ रहे हैं। किंतु एनटीपीसी की 4000 मेगावाट की बात सुनने को आ रहा है। जिससे कई लोग बेघर होंगे। इस क्षेत्र में ऐसे बहुत किसान है जिनके पास भूमि नहीं है वे किसानों की भूमि में काम कर अपना जीवनयापन कर रहे हैं। भूमिहीन किसानों के लिए एनटीपीसी क्या करेगी ? यह एक गंभीर समस्या है। भिन्न–भिन्न दर से मुआवजा राशि वितरण किया जा रहा है। छ.ग. के किस प्रांत में 6, 8, 10 की राशि तय है इसका उल्लेख कहीं नहीं है। किसानों को उनकी जमीन के बदले जमीन दिया जाये चाहे जिस क्षेत्र में लेना चाहे उस क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराई जाये। उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तब तक वह अकुशल ही रहेगा। उड़ीसा में 22.6 लाख दर से मुआवजा राशि दी जा रही है उससे अधिक दर से यहां के किसानों को मुआवजा दिलाया जाये। यहां किसानों को उसके जमीन की दर से अधिक से अधिक मुआवजा राशि दिलाया जाये। महानदी से पानी की व्यवस्था की गई है। महानदी से किसानों का जीवनयापन निर्भर है। ये सभी गांव महानदी के पानी से आश्रित है। यहां भूजल का स्तर गिर जाता है। यहां पानी की व्यवस्था गंभीर समस्या बनी रहेगी पर्यावरण की दृष्टि से। यहॉ, ध्वनि, जल एवं वायु प्रदूषण होता है जिसे यहां के लोकल किसान झेलेगें। भोले भाले किसानों से औने पौने दाम पर जमीन खरीद लिया जाता है। जमीन बिक्री करने वाले किसानों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी है।

80. गुलाब राम प्रधान, बोड़ाझरिया – एनटीपीसी का स्वागत है। यह पिछड़ा क्षेत्र है। जिससे इस क्षेत्र के 9 गावों का विकास होगा। प्रत्येक गांवों के तालाबों का सौदर्यीकरण किया जाये। पचरी बनाया जाये। प्रभावित ग्रामों में मंगल भवन बनाया जाये। पानी निकासी की व्यवस्था की जाये। जो जमीन 2005 में बिक गया है उस जमीन का मुआवजा आज के दर पर प्रभावित को दिया जाये। जो भूमिहीन मजदूर है वो किसानों पर डिपेंड है उन्हें ही पुनर्वास नीति के अंतर्गत 15000 रूपया मुआवजा दिया जाये। रोड बनाया जाये। झुग्गी झोपड़ी वालों को इंदिरा आवास के तौर पर निःशुल्क आवास बनाकर दिया जाये। एनटीपीसी आने का भगवान का वरदान है।

81. तेजराम, बोड़ाझरिया – एनटीपीसी का स्वागत है। मैं किसान हूं। जो जमीन का रेट, मजदूर का रेट जो बोल रहे हैं उनकी मांग पूरी करें। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है। मैं आदिवासी हूं किसान हूं। 50 लाख एकड़, 1 लाख बोनस दिया जाये। एक पौधे में 10000 रूपया दिया जाये।

82. फगुराम साव, कांदागढ़ – यह हमारा सौभाग्य है। इस एरिया में बहुत पिछड़े नागरिक हैं। उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। 25 से 30 लाख रूपया का रेट करायें।

83. मुकुंद राम गुप्ता, लारा – मैं किसान हूं। कोरबा वेस्ट बड़े भंडार में 25 लाख रूपया एकड़ दिया जा रहा है। बीसा स्टील में 12 से 13 लाख एकड़ की दर से पैसा दिया गया है। आप पुराना रिकार्ड देख सकते हैं। पाटनी पावर 25 लाख किसानों को देने के लिए तैयार है। लारा में 6, 8 , 10 की बात चल रही है जो ठीक नहीं लग रहा है। हमे भी 25 लाख रूपये मुआवजा एवं बोनस 50000 रूपया दिया जाये। मेरे गांव का 400 एकड़ जमीन भू माफियाओं के द्वारा खरीद लिया गया। रायगढ़ के दलालों द्वारा 50 प्रतिशत जमीन को खरीद लिया गया है। जब से पता चला है एनटीपीसी आयेगा तब से मेरे गांव की 70 प्रतिशत जमीन रायगढ़ और बाहर के लोग खरीद लिये हैं। कम से कम मेरे किसानों को दो तीन साल पहले रजिस्ट्री हुआ है उसका मुआवजा दिलाया जाये। मैं एनटीपीसी का स्वागत करता हूं।

84. आनंद शर्मा, झिलगीटार – 9 गांव मिलकर समिति बनाया गया। हमारे समिति का उद्देश्य यह है कि प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि मिलकर निर्देशानुसार उस गांव का विकास करें। 9 गावों ने मिलकर एनटीपीसी का स्वागत करते है। झिलगीटार की 365 एकड़ जमीन जा रही है। यह आदिवासी गांव है। आदिवासी जमीन को 20000 हजार में खरीद लिया गया है। प्रशासन से निवेदन है कि इसकी जांच किया जाये कितनी जमीन बिकी है कि खरीदने वाला आदिवासी है या नहीं। जमीन का दर उस हिसाब से नहीं बढ़ता है। धारा 4 लगने के बाद उसके बगल की जमीन का रेट बीस से तीस लाख रूपया हो जायेगा। हमारे यहां 70 प्रतिशत छोटे किसान है। एक एकड़ में 30 हजार मुआवजा देने की बात कह रहे है उसके लिए 50000 रूपये दिया जाये। जितने दिन यहां प्लांट रहेगा उतने दिन तक हमे मुआवजा मिले और हर वर्ष 1 हजार वृद्धि के साथ मुआवजा मिले। प्रत्येक कन्या विवाह पर कुछ अनुदान राशि प्रभावित गांव के परिवारों को एक लाख रूपया दिया जाये। 31 मार्च के अंदर मुआवजा दिया जाये। वृद्धा पेंशन मासिक स्तर पर दिया जाये।

85. रविशंकर साव, कान्दागढ़ – एनटीपीसी का स्वागत है। उड़ीसा में 22.6 लाख एकड़ बताया गया है। वही रेट हमारे यहां दिया जाये। प्रत्येक खातेदार को नौकरी दिया जाये। किसानों के अलावा गरीबों को भी बोनस दिया जाये। वही गरीब किसानों की जमीन में कमा रहे थे।

86. वासुदेव सिदार, झिलगीटार – एनटीपीसी का स्वागत है। जल्दी आये।

87. उसतराम गुप्ता, झिलगीटार – एनटीपीसी का स्वागत है। हमारे गांव में रेट दिया जा रहा था उस समय ये लोग कहा गए थे ? सीपत में प्रदूषण का कोई सवाल ही नहीं है। जमीन का मूल्य जो पहले प्रवक्ता ने बताया है उस आधार पर मुआवजा दिया जाये और बोनस राशि 50000 रूपया दिया जाये। 1 एकड़ से कम जमीन वालों को 5 लाख मुआवजा दिया जाये।

88. दिलमणी चौहान, छोटे हल्दी– लारा और छोटे हल्दी की सीमा एक है। उसी सीमा के पास हमारा 18 एकड़ का निस्तारी तालाब है। सभी चीज लारा के आश्रित में हम लोग चलते हैं। किस कारण से ये गांव एनटीपीसी द्वारा अलग लिया गया है। मैं गोड़पाली जनसुनवाई की सीडी दिखाउंगा। तालाब की सुरक्षा मैं गवर्नमेंट को सौंप रहा हूं।

89. ऋषि सिदार, झिलगीटार – मेरी मांग पूरी की जाये।

90. बिखारी भोई, लारा – मैं भूमिहीन किसान है फिर भी मेरे गांव में आजादी से जी रहा हूं मेरी रोजी रोटी चल रही है। एनटीपीसी के आने से क्या मेरी रोजी रोटी चलेगी ? हर भूमिहीन किसानों को 10 लाख रूपये नगद दिलाने का कष्ट करें।

91. जगदीश, लारा – हमारे क्षेत्र में 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट किया गया है। जो सबसे आगे है और मुआवजा मिल रहा है सबसे पीछे। 16000 रजिस्ट्री खर्चा एनटीपीसी खर्च करेगा। मुआवजा सबसे आगे मिलना चाहिए।

92. सत्यानंद सरल, सरपंच प्रतिनिधि, लारा – एनटीपीसी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आज तक हम क्या मांग करेंगे, क्या बोलेंगे कहकर सोचे ही नहीं थे परंतु गांव वाले धीरे–धीरे समर्थन में बोल रहे थे। कहां कितना कितना रेट है हमे मालूम नहीं है। इसकी खोज करेंगे। कही भी जो रेट दिया जाता है उसी को हम एनटीपीसी के पास प्रमाणित करेंगे और उसी को प्रस्तुत करेंगे। शासन की तरफ से 20, 30 , 40 लाख जो भी रेट होगा उसे देना होगा। विकास के लिए हर चीज के लिए सहयोग करने के लिए पत्र दिये उसे करना होगा। 10 किमी के अंदर जितने भी शिक्षित बेरोजगार नौजवान हो उन सभी को योग्यतानुसार नौकरी मिलनी चाहिए। हमको नौकरी देना अनिवार्य है भले बोनस पैसा न मिले। हमारे प्रभावित क्षेत्र 9 गावों के अलावा पुसौर ब्लाक के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में कंपनी प्रतिनिधि ने बताया कि टी.ओ.आर. के अनुसार ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाई गई है। ग्रीन बेल्ट हम डेव्हलप करेंगे। सभी नार्मस का पालन करेंगे, फ्लाई एश का अपवहन हाई कन्सनट्रेशन एष स्लरी सिस्टम द्वारा किया जायेगा। कानून के तहत कार्य करेंगे। ले आऊट प्लान ई.आई.ए. में है। रिवाइज्ड ई.आई.ए. 2011 में जमा की गई है। तराईपल्ली कोल का केलोरिफिक वेल्यू 4200 है। हमारा प्लांट का डिजाइन इसी आधार पर होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जायेगा। ट्रांसमिशन लाईन मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर के दायरे में आता है। पॉवर ग्रिड के लिये अनुमति लेंगे। कोल का ट्रांसपोर्टेशन एम.जी.आर. द्वारा किया जायेगा, जिसकी पृथक से अनुमति ली जायेगी। भूमि मुआवजा के लिये शासन के नियम के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। 30,000 रूपये का मुआवजा भारत देश में सबसे ज्यादा है। पुर्नवास हम करेंगे। भूमिहीन किसान एवं मजदूरों के लिये शासन के बताये अनुसार आई.टी.आई. पुसौर, गढ़उमरिया के तकनीकी शिक्षा का बढ़िया रोजगार के उपयुक्त बनाने हेतु शासन को अवगत कराया जायेगा। रायगढ़, किरोड़ीमल इन्स्टीट्यूट के लिये शासन के साथ कार्य करने की सहमती दी गई है, इस तरह परियोजना से होने वाले होने प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लगाये जाने वाले आधुनिक उपकरणों, ठोस अपशिष्ठ फ्लाई एश प्रबंधन, जल आपूर्ति, सामुदायिक विकास तथा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त बिंदुओं पर बिन्दुवार अपना पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान कई लोगों द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा सायं 05:35 बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका–टिप्पणी पर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से जवाब आने के पश्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

(जे. लकड़ा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(एस. के. शर्मा)
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)